



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/SER-1513/JH/31/2024-SSW

श्री मनोज कुमार,
सचिव,
खेल एवं युवा मामले निदेशालय,
झारखंड सरकार,
गेट नंबर 29 बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी,
रांची - (झारखंड)834008
E. mail: govjharkhandtourism@gmail.com

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **18 मई, 2026** को **11:20** पूर्वाह्न बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ:-

संदर्भ 1 (i) खेल, कूद एवं युवा कार्य विभाग राँचीद्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी का बकाया राशि भुगतान न करने (झारखंड) श्री मोहन खलखो सेवा निवृत्त लिपिक- के संबंध में, खेल, कूद एवं युवा कार्य विभाग राँची का दिनांक(झारखंड)24.08.2024 का अभ्यावेदन।

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगताने होंगे।

दिनांक 08/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

[Handwritten Signature]

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003